उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
हरिद्वार–249404

संख्या :: **287/17/E-2/सं0र0अ0अधी0से0/2019-20** दिनाँक :: 19 जनवरी, 2024

विज्ञप्ति

सम्मिलित राज्य (सिविल) अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा–2021 के अन्तर्गत आबकारी निरीक्षक एवं उप कारापाल पद हेतु शारीरिक मानक परीक्षा कार्यक्रम

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सम्मिलित राज्य (सिविल) अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा–2021 के अंतर्गत प्रकाशित मुख्य परीक्षा परिणाम दिनांक 02.06.2023 में सफल घोषित अभ्यर्थियों हेतु साक्षात्कार दिनांक 26.12.2023 से 24.01.2024 तक निर्धारित है। साक्षात्कार में सम्मिलित ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन–पत्र में **आबकारी निरीक्षक एवं उप कारापाल पद** हेतु वरीयता के सापेक्ष दावा किया गया है, उक्त अभ्यर्थियों के लिए **शारीरिक मानक परीक्षा का आयोजन दिनांक 30, 31 जनवरी एवं 01 फरवरी, 2024 को सशस्त्र प्रशिक्षण केन्द्र (ए0टी0सी0), हरिद्वार में किया जायेगा,** जिसका विवरण निम्नवत हैः–

आबकारी निरीक्षक एवं उप कारापाल पद हेतु शारीरिक मानक परीक्षा कार्यक्रम					
क्र0 सं0	परीक्षा की तिथि	दिवस	समय	महिला/पुरूष अभ्यर्थी	परीक्षा का स्थान
01.	30 जनवरी, 2024	मंगलवार	प्रातः 09:00 बजे	पुरूष	सशस्त्र प्रशिक्षण केन्द्र हरिद्वार।/ **Armed Training Center (ATC), Haridwar**
02.	31 जनवरी, 2024	बुधवार	प्रातः 09:00 बजे	पुरूष	
03.	01 फरवरी, 2024	गुरूवार	प्रातः 09:00 बजे	महिला	

2. शारीरिक मानक परीक्षा के अन्तर्गत पुरूष अभ्यर्थियों हेतु ऊँचाई व सीने की माप एवं महिला अभ्यर्थियों हेतु ऊँचाई व वजन का परीक्षण किया जायेगा।

3. ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में शारीरिक मापदण्ड में छूट का दावा किया हो, उक्त दावे के सापेक्ष शारीरिक माप में छूट हेतु अनुसूचित जनजाति प्रमाण–पत्र/अनुसूचित जाति प्रमाण–पत्र अथवा पर्वतीय क्षेत्र प्रमाण–पत्र की मूल प्रति एवं स्वप्रमणित प्रति के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। उक्त प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न करने की दशा में शारीरिक मापदण्ड में कोई छूट प्रदान नहीं की जायेगी।

4. शारीरिक मानक परीक्षा हेतु औपबंधिक रूप से अर्ह अभ्यर्थी अपना प्रवेश–पत्र (Admit&Card) दिनांक 24 जनवरी, 2024 से आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को डाक द्वारा पृथक से डाक द्वारा कोई सूचना/प्रवेश–पत्र (Admit Card) प्रेषित नहीं किये जायेंगे।

Sd/-
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।